—: कार्यालय —प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन :—

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तहसील न्यायालय खाचरौद परिसर में कैंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति तहसील न्यायालय खाचरौद परिसर में कैंटीन का संचालन करना चाहता है, वे अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति खाचरौद/जिला न्यायाधीश, खाचरौद में कार्य दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर शर्तो अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि **दिनांक 14.06.2025** को समय 5.00 बजे तक कार्यालय,जिला न्यायाधीश, खाचरौद में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

साथ ही उक्त निविदा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय म0प्र0जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं https://ujjain,dcourts.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

—: कैंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म तथा शर्ते :—

//निविदा फार्म //

कैंटीन के संचालन का स्थान :— न्यायालय परिसर, खाचरौद

प्रथम पक्ष :— निविदाकर्ता का नाम – ....

पता— ....

मोबाईल नं.— ....

केटीन संचालन हेतु प्रस्तावित

(वार्षिक) राशि – ....

(शब्दों में राशि – ....)

द्वितीय पक्ष :— अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश, खाचरौद।

तहसील न्यायालय परिसर, खाचरौद में स्थित केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वर्ष 2025—26 हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निविदिाएँ आमंत्रित की जाती है :—

//निर्धारित शर्तें//

1— अनुज्ञा शुल्क तहसील न्यायालय, खाचरौद स्थित केंटीन हेतु न्यूनतम रूपये 10,000/—वार्षिक दर से होगा।

2— प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु राशि रूपये 10,000/—की एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से एक वर्ष हेतु गारंटी के रूप में जमा की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3— तहसील खाचरौद परिसर में संचालक को केंटीन के संचालन हेतु अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश, खाचरौद द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। जिस पर केंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर केंटीन के निर्माण की अनुमति दी जावेगी। केंटीन संचालक द्वारा उक्त अस्थायी केंटीन के आस—पास अनावश्यक रूप से अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।

4— प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष की अवधि हेतु संपादित किया जावेगा। अनुबंध अनुसार केंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर केंटीन संचालन के कार्य हेतु संतुष्टि के आधार पर एक वर्ष की वृद्वि की जा सकती है। इस हेतु उक्त राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की उपरोक्तानुसार न्यायालय परिसर खाचरौद स्थित केंटीन के संचालन हेतु एक मुश्त करनी होगी। केंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्वि चाहने पर प्रथम पक्ष को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा।

5— केंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो प्रथम पक्ष को उसके द्वारा जमा की गई एफ.डी.आर. राशि लौटायी नहीं जावेगी।

6— केंटीन संचालक को निविदा फार्म के साथ रूपये 5000/— की जमानत राशि अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश, खाचरौद को देय डिमांड ड्राप्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल प्रथम पक्ष के अतिरिक्त शेष प्रथम पक्ष को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राप्ट लौटा दिया जावेगा किन्तु सफल प्रथम पक्ष की अग्रिम वाली उक्त राशि सहित कुल राशि अधिकतम वोली के बराबर हो, प्रथम पक्ष और अध्यक्ष केंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश, खाचरौद के संयुक्त नाम से बैंक एफ.डी. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी जो प्रथम पक्ष के द्वारा शर्त के किसी भी रूप में उल्लघंन किये जाने पर समिति द्वारा सम्पहृत (जप्त) की जा सकेगी।

7— सफल प्रथम पक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं होगा। परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

8— प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु अनुबंध दिनांक ....से दिनांक ....तक आगामी एक वर्ष की लिए प्रभावशील रहेगा।

9— जिस प्रथम पक्ष की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे प्रथम पक्ष के अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

10— अनुबंध की शर्तो को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लघंन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात् की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

11— माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार या अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश, खाचरौद द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका प्रथम पक्ष को पालन करना अनिवार्य होगा।

12— केंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश, खाचरौद को होगा।

13— केंटीन संचालक/प्रथम पक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

14— केंटीन संचालक/प्रथम पक्ष केंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

15— केंटीन संचालक/प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यथ रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। उक्त शर्त का उल्लंघन करने पर केंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

16— केंटीन संचालक/प्रथम पक्ष द्वारा ग्राहक/अधिवक्तागण/पक्षकारगण/कर्मचारीगण से केंटीन संचालन के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं करेगा।

17— केंटीन संचालक/प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन परिसर में कोई खतरनाक सामान/प्रतिबंधित/अवैध/विषाक्त सामग्री/पान, गुटखा, तम्बाकु, सिगरेट, शराब आदि का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त शर्त का उल्लंघन किये जाने पर किसी भी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही हेतु स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

18— केंटीन परिसर उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिये नहीं किया जावेगा। अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश, खाचरौद की लिखित अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में केंटीन में रहने अथवा काम करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

19— केंटीन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववत् और उचित आचरण व्यवहार की पूरी जिम्मेदार केंटीन संचालक की होगी। प्रथम पक्ष/लायसेंसधारी को उनके सभी कर्मचारियों के संबंध में (स्थायी/अस्थायी/आकस्मिक) में उनके आवश्यक विवरण के साथ अधार कार्ड/पहचान पत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश, खाचरौद को प्रदान करना होगी।

20— समय-समय पर द्वितीय पक्ष/ अध्यक्ष, केंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश, खाचरौद या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

21— कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष को कैंटीन संचालन के दौरान उन्हें कैंटीन संचालन न्यायालयीन कार्य एवं समय-समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा। अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

22— कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष द्वारा उन्हें केंटीन संचालन हेतु आवंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु कोई अस्थाई निर्माण, जो कि व्यवसाय संचालन में आवश्यक हो तो जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए उनके अनुमोदन के उपरांत ही कर सकेगें,जो शासकीय संपति को क्षति कारित करने वाला हो, किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो प्रथम पक्ष अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

23— कैंटीन संचालक/प्रथम पक्ष कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन संबंधित म0प्र0पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त करना होगा तथा निर्धारित अवधि में संबंधित विभाग को विद्युत देयक का भुगतान करेंगा। कैंटीन संचालन हेतु पर्याप्त पेयजल व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी।

24— कैंटीन संचालन के लिए संचालक द्वारा ही समस्त आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों को रखा जावेगा एवं रखरखाव में हुए व्यय का वहन स्वयं करना होगा।

25— कैंटीन संचालक, कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगर पालिका परिषद स्थापना अधिनियम के अंतर्गत दुकान पंजीयन करायेगा तथा कैंटीन संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

26— कैंटीन संचालक द्वारा शुद्व एवं उचित मूल्य, मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी तथा खाद्य सामग्री विक्रय की दर कैंटीन संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी,ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी।

27— विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी कैंटीन संचालक का होगा।

28— कैंटीन संचालक, कैंटीन कक्ष तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। कैंटीन समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान अस्वच्छता पाई जाने पर समिति द्वारा प्रति दिवस रू. 500/— की दर से दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

29— कैंटीन संचालक, अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा, अन्यथा कैंटीन संचालन समिति के द्वारा प्रतिदिवस रू. 500/—की दर से दण्ड अधिरोपित की जा सकेगा।

30— कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में कैंटीन संचालन समिति का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

31— कैंटीन संचालक द्वारा विक्रय किये जाने वाली खाद्य सामग्री की गुंणवत्ता अच्छी रखना होगी तथा नियम,कानूनों और विनियमों के अनुसार लागू होना चाहिए,जिसका औचक निरीक्षण किसी भी समय किया जाकर अथवा उल्लंघन होने पर लायसेंस रदद किया जा सकेगा।

32— अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश,खाचरौद द्वारा न्यायालय भवन परिसर में कैंटीन संचालन हेतु स्थान का चयन किया जावेगा। प्रथम पक्ष निविदा फार्म जमा करने के पूर्व कैंटीन संचालन स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लेवे।

33— सफल कैटीन संचालक द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टॉप शुल्क पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन किया जावेगा।

34— अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश,खाचरौद द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः 09 बजे से सांय 07.00 तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का कैंटीन संचालक को पूर्ण पालन करना होगा। न्यायालयीन अवकाश के दिनों में बिना अनुमति के कैंटीन का संचालन नहीं किया जावेगा।

35— समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तो का उल्लंघन करने/विवाद वाले/अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

36— अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश,खाचरौद को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तो में किसी शर्त का परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रदद कर सकता है।

37— कैंटीन संचालक द्वारा अस्थायी कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर संपूर्ण बैठक व्यवस्था/मरम्मत आदि का कार्य करना होगा।

38– कैंटीन संचालक द्वारा कैंटीन परिसर की सुरक्षा हेतु अग्निशामक उपकरण की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी एवं कैंटीन संचालक को परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई करना होगी।

39– कैंटीन संचालन से संबंधित मामलों में अध्यक्ष, कैटीन संचालन समिति/जिला न्यायाधीश,खाचरौद का निर्णय अंतिम और कैंटीन संचालक पर बाध्यकारी होगा।

40– ऊपर वर्णित शर्तो के उल्लघंन के संबंध में या अन्यथा परिस्थितियों में आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व कैंटीन संचालक का ही रहेगा।

अध्यक्ष, कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश,खाचरौद को अधिकार होगा कि वे निविदा की घोषित की गई शर्तो में से किसी भी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित/रद्द कर सकता है।

निविदाएं दिनांक.........................को सायंकाल 5.00 बजे स्थान, तहसील न्यायालय परिसर,खाचरौद में खोली जावेगी। जिसमें उपस्थित रह सकते है।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है।

निविदाकर्ता का नाम,पता व हस्ताक्षर(प्रथम पक्ष) ....

....

मोबाईल नंबर...............................

कैंटीन संचालन समिति का अभिमतः–

सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष,
कैंटीन संचालन समिति एवं व्य.न्याया.कनिष्ठ खंड, खाचरौद	कैंटीन संचालन समिति एवं व्य.न्याया.वरिष्ठ खंड, खाचरौद	कैंटीन संचालन समिति एवं अति.जिला न्यायाधीश, खाचरौद	कैंटीन संचालन समिति एवं जिला न्यायाधीश,खाचरौद